भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2802
दिनांक 12 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए

बाल दुर्व्यापार

2802. श्री संजय सेठ:
श्री महेश साहू:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दुर्व्यापार किए गए बच्चों के जिलेवार आंकड़े रखती है और यदि हां, तो झारखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) झारखंड सहित संपूर्ण देश में छुड़ाए गए बच्चों के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने आश्रयगृहों का निर्माण किया गया है;
(ग) क्या सरकार संपूर्ण देश में ऐसे आश्रयगृहों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) छुड़ाए गए इन बच्चों का पुनर्वास किस तरीके से किया जाता है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, 2019 के दौरान दुर्व्यापार किए गए बच्चों (18 वर्ष से कम के) के जिला वार सूचित किए गए मामलों की झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक-I** में है ।

(ख) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम) की धारा 2 (14) (ix) के अनुसार, संवेदनशील और नशे में डाले जाने या दुर्व्यापार की संभावना, वाले बच्चे को ''देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के रूप में शामिल किया जाता है । किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में इन बच्चों को संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल प्रदान करने के लिए सेवा प्रदायगी ढांचों का एक सुरक्षा चक्र का अधिदेश दिया गया है । इस अधिनियम के निष्पादन का प्रमुख उत्तर दायित्व मुख्यत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का होता है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही सीएनसीपी की बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) का ब्यौरा **अनुलग्नक -II** में है ।

(ग) और (घ) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों की सहायता के लिए केंद्रीय प्रायोजित बाल संरक्षण सेवाओं (सीपीएस) स्कीम (पूर्ववर्ती समेकित बाल संरक्षण स्कीम) का कार्यान्वयन करता है । इस स्कीम को लागू करने का उत्तर दायित्व मुख्यत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का होता है। इस स्कीम के अंतर्गत संस्थागत देखभाल बाल देखरेख संस्था के माध्यम से पुनर्वास उपाय के रूप में की जाती है । बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यक्रमों और गतिविधियों में अन्य बातों के साथ आयु उपयुक्त शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण तक पहुंच, पुन: सृजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि शामिल है ।

स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार से आवश्यकता का मूल्यांकन करने और सचिव (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के विचार हेतु प्रस्ताव वार्षिक रूप से प्रस्तुत करने की सिफारिश की जाती है । परियोजना अनुमोदन बोर्ड स्कीम के अंतर्गत अनुदान जारी करने के लिए

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यान्वयन योजनाओं और वित्तीय प्रस्तावों की जांच करता है और अनुमोदन प्रदान करता है ।

इसके अलावा मंत्रालय अवैध व्यापार के पीडितों के पांच विशेष घटकों – निवारण, बचाव, पुर्नवास, पुन:एकीकरण और समाज में पुन:वापसी के साथ व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए उज्ज्वला स्कीम का कार्यान्वयन भी करता है । यह स्कीम मुख्य रूप से एक तरफ तो दुर्व्यापार को रोकने और दूसरी तरफ पीडितों के बचाव और पुनर्वास के लिए बनाई गई है । इस स्कीम में पीडितों को भोजन, आश्रय, परामर्श, चिकित्सा देखभाल, कानूनी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करके तथा समाज में उन्हें पुन: मिलाकर उनके पुर्नवास की व्यवस्था की गई है ।

अनुलग्नक -I

"बाल दुर्व्यापार विषय पर श्री संजय सेठ, श्री महेश साहू द्वारा दिनांक 12.03.2021 के लिए पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं2802 के उत्तर भाग (क) में संदर्भित विवरण

एनसीआरबी के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान मानव दुर्व्यापार के अधीन दुर्व्यापार किए गए झारखंड सहित राज्य /संघ राज्य वार , जिले वार दर्ज मामलों की संख्या जिसमें बच्चें (18 वर्ष के आयु से कम शामिल है).

आंद्र प्रदेश

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	कृष्णा	1
2.	कर्नूल	1
3.	विजयवाड़ा शहर	8
4.	विशाखा ग्रामीण	1
5.	विशाखापत्तनम	1
	कुल	**12**

असम

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	बक्सा	3
2.	कछार	1
3.	चिरांग	2
4.	धेमाजी	3
5.	जी.आर.पी.	9
6.	गुवाहाटी शहर	7
7.	कामरूप	1
8.	कोकराझर	4
9.	लखीमपुर	3
10.	नगांव	2
11.	तिनसुकिया	1
12.	विश्वनाथ	9
13.	होजाई	1
14.	दक्षिण सलमारा	2
	कुल	**48**

बिहार

क्रम सं	जिले की संख्या	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	औरंगाबाद	2
2.	भागलपुर	2
3.	कटिहार	9
4.	कटिहार रेलवे	3
5.	किशनगंज	2
6.	मुजफ्फरपुर	1
7.	मुजफ्फरपुर रेलवे	17
8.	नालंदा	1
9.	पटना	14
10.	पूर्णिया	1
11.	सहरसा	1
12.	सरन	2
13.	सुपौल	1
	कुल	**56**

छतीसगढ़

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	बालोद	1
2.	बलरामपुर	4
3.	बिलासपुर	2
4.	दुर्ग	2
5.	जीआरपी रायपुर	1
6.	जगदलपुर	1
7.	जशपुर	7
8.	नारायणपुर	3
9.	रायगढ़	2
10.	रायपुर	1
11.	सूरजपुर	3
	कुल	**27**

गोवा

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1	दक्षिण गोवा	1
	कुल	**1**

गुजरात

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1	अमरेली	1
2	पंचमहल	1
	कुल	**2**

हरियाणा

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	फरीदाबाद	1
2.	फतेहाबाद	1
3.	कुरुक्षेत्र	1
4.	पानीपत	1
5.	रोहतक	2
	कुल	**6**

हिमाचल प्रदेश

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	कुल्लू	1
	कुल	**1**

झारखंड

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	चाईबासा	3
2.	चतरा	2
3.	देवघर	2
4.	धनबाद	54
5.	धनबाद रेलवे	2
6.	गिरिडीह	1
7.	गोड्डा	2
8.	गुमला	23
9.	जामताड़ा	1
10.	पलामू	1
11.	रामगढ़	2
12.	रांची	1

13.	साहेबगंज	12
	कुल	**106**

कर्नाटक

क्रम सं	जिला का नाम	**बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या**
1.	हुब्ली धारवाड शहर	1
2.	मैसूरु जिला	1
3.	रायचुर	2
	कुल	**4**

केरल

क्रम सं	जिला का नाम	**बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या**
1.	अलापुझा	1
2.	एर्नाकुलम कोमरेड	3
3.	एर्नाकुलम ग्रामीण	29
4.	इडुक्की	20
5.	कन्नूर	31
6.	कासरगोड	14
7.	कोल्लम कोमरेड	10
8.	कोझिकोड कोमरेड	8
9.	मलप्पुरम	2
10.	पलक्कड़	14
11.	पथानामथिट्टा	8
12.	त्रिशूर कोमरेड	10
13.	त्रिवेंद्रम कोमरेड	2
14.	वायांडू	2
	कुल	**154**

मध्य प्रदेश

क्रम सं	जिला का नाम	**बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या**
1.	आगर	1
2.	बालाघाट	1
3.	बेतुल	1
4.	छिंदवाड़ा	1
5.	देवास	1
6.	डिंडोरी	2
7.	गुना	1
8.	ग्वालियर	4
9.	हरदा	1
10.	होशंगाबाद	1
11.	जबलपुर	3
12.	खंडवा	1
13.	मंडला	1
14.	मन्दसौर	5
15.	नरसिंहपुर	2
16.	नीमच	4
17.	रायसेन	1
18.	राजगढ़	2
19.	रतलाम	1
20.	सागर	4
21.	सतना	1
22.	सिवनी	1
23.	शाहडोल	1
24.	शिवपुरी	1
25.	सिंगरौली	3
26.	टीकमगढ़	1
27.	उज्जैन	1
28.	उमरिया	1
29.	विदिशा	1
	कुल	**49**

महाराष्ट्र

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	अकोला	3
2.	गडचिरोली	1
3.	कोल्हापुर	3
4.	मुंबई कोमरेड	37
5.	नवी मुंबई	2
6.	पालघर	2
7.	पुणे कोमरेड	6
8.	सांगली	4
	कुल	**58**

मणिपुर

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	विष्णुपुर	1
2.	इम्फाल वेस्ट	1
	कुल	**2**

मेघालय

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	गारो हिल्स पूर्व	1
2.	गारो हिल्स दक्षिण	3
3.	गारो हिल्स पश्चिम	14
4.	जयंतियां हिल्स पश्चिम	1
5.	जयंतियां हिल्स पूर्व	1
6.	खाशी हिल्स पूर्व	1
	कुल	**21**

मिजोरम

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	एजवाल	4
	कुल	**4**

नागालैंड

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	दीमापुर	2
	कुल	**2**

पंजाब

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	बठिंडा	2
2.	सीपी अमृतसर	2
3.	फाजिल्का	1
4.	गुरदासपुर	1
5.	मोगा	2
6.	पटियाला	1
	कुल	**9**

राजस्थान

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	अलवर	27
2.	चुरू	2
3.	जी .आर. पी अजमेर	5
4.	गंगानगर	6
5.	जयपुर पूर्व	2
6.	जयपुर उत्तर	63
7.	जयपुर दक्षिण	5
8.	जयपुर पश्चिम	13
9.	जोधपुर (पूर्व)	1
10.	जोधपुर (पश्चिम)	2
11.	करौली	1
12.	नागौर	1
13.	प्रतापगढ़	1
14.	उदयपुर	5
	कुल	**134**

तमिलनाडू

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	चेन्नई	1
2.	कोयंबटूर	1
3.	कन्याकूमारी	1
4.	नमक्कल	1
5.	रमनाथपुरम	1
6.	त्रिची	1
	कुल	**6**

तेलंगाना

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	साइबराबाद आयुक्तालय	2
2.	निजामाबाद आयुक्तालय	1
3.	राचकोंडा आयुक्तालय	3
4.	कामरेड्डी	1
	कुल	**7**

उत्तर प्रदेश

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	गोरखपुर	1
2.	जौनपुर	1
3.	मुरादाबाद	1
	कुल	**3**

उतराखंड

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	अल्मोड़ा	2
2.	हरिद्वार	4
3.	पिथोरागढ़	2
4.	रुद्रप्रयाग	2
5.	उधमसिंह नगर	3
	कुल	**13**

पश्चिम बंगाल *

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	अलीपुरद्वार	2
2.	बांकुड़ा	3
3.	बैरकपुर पीसी	5
4.	बिधाननगर पीसी	1
5.	बीरभूम	5
6.	दक्षिण दिनाजपुर	1
7.	हावड़ा जी. आर. पी.	1
8.	हावड़ा पीसी	3
9.	हावड़ा ग्रामीण	2
10.	जलपाईगुडी	2
11.	कोलकाता	63
12.	मालदा	1
13.	मुर्शिदाबाद	9
14.	नदिया	3
15.	पूरब मेदिनीपुर	7
16.	सियालदह जी. आर. पी	1
17.	सिलीगुड़ी जी. आर. पी.	3
18.	उत्तर दिनाजपुर	1
19.	बरुईपुर पुलिस	5
20.	चंद्रनगर पीसी	1
21.	डायमंड हार्बर पुलिस	2
22.	कलिम्पोंग	1
23.	पुरब बर्धमान	5
24.	सुंदरवन पुलिस	3
25.	बारासात	5
	कुल	**135**

* 2019 के लिए पश्चिम बंगाल से आंकड़ा प्राप्त नहीं होने के कारण, 2018 के लिए एकत्रित आंकड़ा का उपयोग किया गया है.

चंडीगढ़

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	चंडीगढ़	1
	कुल	**1**

दिल्ली

क्रम सं	जिले का नाम	बाल दुर्व्यापार की कुल संख्या
1.	केंद्रीय	5
2.	पूर्व	4
3.	उत्तरी	1
4.	उत्तर –पूर्व	10
5.	उत्तर पश्चिम	9
6.	आउटर	6
7.	दक्षिण	1
8.	दक्षिण–पूर्व	8
9.	पश्चिम	4
10.	रोहिणी	2
11.	शाहदरा	3
12.	आउटर उत्तर	8
13.	द्वारका	3
	कुल	**64**

अनुलग्नक -II

बाल दुर्व्यापार विषय पर श्री संजय सेठ, श्री महेश साहू द्वारा दिनांक 12.03.2021 के लिए पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं 2802 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण".

सीएनसीपी के लिए सीसीआई का विवरण जिनका वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सीपीएस स्कीम के अधीन समर्थन किया जा रहा है .

क्रम सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	बाल गृह	खुला आश्रम	विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां
1	आंध्र प्रदेश	56	6	14
2	अरुणाचल प्रदेश	4	0	1
3	असम	36	6	19
4	बिहार	13	0	13
5	छत्तीसगढ	44	9	12
6	गोवा	16	2	2
7	गुजरात	53	2	13
8	हरियाणा	24	14	7
9	हिमाचल प्रदेश	30	3	1
10	जम्मू और कश्मीर	10	0	2
11	झारखंड	28	5	12
12	कर्नाटक	68	35	31
13	केरल	17	4	11
14	मध्य प्रदेश	44	9	26
15	महाराष्ट्र	22	7	18
16	मणिपुर	41	16	9
17	मेघालय	37	4	4
18	मिजोरम	35	0	7
19	नागालैंड	23	3	4
20	ओडिशा	90	12	27
21	पंजाब	13	0	6
22	राजस्थान	61	20	21
23	सिक्किम	14	4	4
24	तमिलनाडु	187	11	20
25	त्रिपुरा	20	4	6
26	उत्तर प्रदेश	46	20	25
27	उत्तराखंड	9	3	5
28	पश्चिम बंगाल	59	37	25
29	तेलंगाना	31	0	11
30	अंडमान और निकोबार	10	-	2
31	चंडीगढ़	5	0	2
32	दादर और नगर हवेली	0	1	1
33	दमन और दीव	1	-	-
34	लक्षद्वीप	0	-	-
35	दिल्ली	22	9	3
36	पुदुचेरी	22	1	2
	कुल	**1191**	**247**	**366**